



राजस्थान सरकार  
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय

क्रमांक:-एफ/13/1/3/आर.जी.आई./वीएस/डीईएस/2017/148

दिनांक:- 19.02.2025

जिला कलेक्टर एवं,  
अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)  
समस्त।

विषय:- जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम 2025 के सम्बन्ध में ।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, गृह मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 13 सितम्बर, 2023 द्वारा जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 (प्रति संलग्न) भारत के राजपत्र में प्रकाशित किये गये हैं और इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य में राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2025 दिनांक 07.02.2025 (प्रति संलग्न) को राजपत्र में प्रकाशित किया गया है, जिसमें मुख्य संशोधन निम्नानुसार है:-

1. **नियम 9 (2)** के अन्तर्गत जन्म और मृत्यु की 30 दिवस के पश्चात 1 वर्ष के भीतर की घटना हेतु जारी की जाने वाली अनुज्ञा ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी द्वारा जारी की जाएगी।
2. **नियम 9 (2) एवं (3)** के अन्तर्गत जन्म या मृत्यु की घटना की सूचना 21 दिवस पश्चात परंतु 30 दिवस के भीतर रजिस्ट्रार को दी जाती है तो 1 रुपये विलम्ब शुल्क के स्थान पर 20 रुपये विलम्ब शुल्क देय होगा तथा 30 दिवस पश्चात परंतु 1 वर्ष के भीतर दी जाती है तो 50 रुपये विलम्ब शुल्क देय होगा तथा घटना की सूचना 1 वर्ष पश्चात दिए जाने पर 100 रुपये विलम्ब शुल्क देय होगा।
3. **नियम 9 (2)** में जन्म-मृत्यु के विलम्बित रजिस्ट्रीकरण में नोटरी सत्यापन को समाप्त किया गया है।
4. **नियम 16(2)** में चिकित्सा संस्थानों के द्वारा जन्म-मृत्यु पंजीयन में 21 दिवस से अधिक विलम्ब किये जाने पर अथवा सूचना समय पर नहीं देने पर पूर्व में 50 रुपये की पेनल्टी का प्रावधान था जिसे बढ़ाकर अब 250 रुपये एवं अधिकतम 1000 रुपये की पेनल्टी का प्रावधान किया गया है।
5. **नियम 16 (क)** में अपील का प्रावधान किया गया है, यदि प्रार्थी रजिस्ट्रार/जिला रजिस्ट्रार के कार्य या किसी आदेश से संतुष्ट नहीं है तो मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) को अपील कर सकता है।

योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर  
जीवनांक शाखा/टोल फ्री नं. 1800 180 6785/आफिस नं. 5167113/  
ई-मेल आई.डी. jdvtal.des@rajasthan.gov.in

संख्या-4क अनिवार्य रूप से जारी कर मृतक के परिजन को भी उपलब्ध कराया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 एवं राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2025 के अर्न्तगत संशोधित प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करने का श्रम करावे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(विनेश सिंघवी)

मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं  
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-एफ/13/1/3/आर.जी.आई./वीएस/डीईएस/2017/148 दिनांक:- 19.02.2025  
प्रतिलिपी निम्न सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं आयुक्त नगर-निगम, समस्त।
2. जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं उप/संयुक्त निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग समस्त।
3. नोडल अधिकारी (जन्म-मृत्यु) एवं ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी समस्त।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर  
जीयनांक शाखा/टोल फ्री नं. 1800 180 6785/आफिस नं. 5167113/  
ई-मेल आई.डी. jdvital.des@rajasthan.gov.in

Document certified by VINESH SINGHVI  
<Aao.des@rajasthan.gov.in>

Digitally Signed by Vinesh Singhvi  
Designation: Director and Joint  
Secretary  
Date :19-02-2025 12:49:41